10.11.2025–पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि चक नम्बर 23 के.एस. पी. के खाता सख्या 112/80 व चक नम्बर 24 के.एस.पी. के खाता सख्या 38/29 मे वादी का नाम चिमनलाल पत्र खेमाराम दर्ज है जो चिमनलाल पुत्र खेमाराम के स्थान पर दुरूस्त किया चिमनाराम पुत्र खेमाराम दर्ज किया जावे। जबकि अन्य दस्तावेजो मे चिमनाराम पुत्र खेमाराम दर्ज है इसलिए चिमनाराम पुत्र खेमाराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक एल.आर/25/3675/दिनांक 30.10. 2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि चिमनलाल पुत्र खेमाराम व चिमनाराम पुत्र खेमाराम दर्ज दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कॉर्ड, पटवारी द्वारा प्रस्तुत दैनिक डायरी आदि मे चिमनाराम पुत्र खेमाराम होने की पुष्टि होती है। अतः वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को दिनैशित किया जाता है। कि चक नम्बर 23 के.एस.पी. के खाता सख्या 112/80 व चक नम्बर 24 के.एस.पी. के खाता सख्या 38/29 मे दर्ज खातेदार चिमनलाल पुत्र खेमाराम के स्थान पर चिमनाराम पुत्र खेमाराम दर्ज कर नाम दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्टि पुर्ववत रखी जावे। तहसीलदार को पालनार्थ प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली दाखिल दफतर की जाती है।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़